रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082026-275124
CG-DL-E-03082026-275124

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 637] नई दिल्ली, सोमवार , अगस्त 3, 2026/श्रावण 12, 1948
No. 637] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3 , 2026/SHRAVAN 12, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

कोयला खान (विशेष उपबंध) शास्तियों का न्यायनिर्णयन नियम, 2026

सा.का.नि. 699(अ).— कोयला खान (विशेष उपबंध) शास्तियों का न्यायनिर्णयन नियम, 2026 का प्रारूप, कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) की धारा 31 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन यथापेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 8 जून, 2026 *में संख्यांक* सा.का.नि. 450 (अ), तारीख 05 जून, 2026 से प्रभावित होने वाले उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है; और यह सूचना दी गई थी कि उक्त प्रारूप नियमों पर केंद्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस तारीख को उक्त नियमों को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी;

और, उपर्युक्त प्रारूप नियमों के उत्तर में प्राप्त सुझावों या आक्षेपों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अब, अतः केंद्रीय सरकार कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) की धारा 31 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (भक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**- (1) कोयला खान (विशेष उपबंध) शास्तियों का न्यायनिर्णयन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ**- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, -

(क) "अधिनियम" से कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) अभिप्रेत है;

(ख) "न्यायनिर्णयन प्राधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 24क की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "इलेक्ट्रॉनिक साधनों" में मेल, एक नामनिर्दिष्ट वेब पोर्टल या केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म सम्मिलित है;

(घ) " प्ररुप" से इन नियमों से संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है;

(ङ) "जांच अधिकारी" से नियम 4 के अधीन यथा-नामनिर्दिष्ट अधिकारी अभिप्रेत है।

(च) "जांच कार्यवाही" से अधिनियम की धारा 24क के अधीन शुरू की गई कार्यवाही अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः हैं।

3. जांच करना- (1) जहाँ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति ने अधिनियम का ऐसा उल्लंघन किया है जो अधिनियम की धारा 24क के अधीन न्यायनिर्णयन के लिए दायी है, वहाँ वह, या तो स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, जाँच कार्यवाहियाँ प्रारंभ कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी -

(क) किसी भी व्यक्ति से जानकारी, अभिलेख, पुस्तकें, रजिस्टर, विवरणियाँ या दस्तावेज़ मांग सकेगा;

(ख) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा;

(ग) लिखित स्पष्टीकरण या विवरण मांग सकेगा;

(घ) किसी भी सरकारी अभिकरण, विशेषज्ञ निकाय, तकनीकी संस्था और इनके समतुल्य से निरीक्षण रिपोर्ट या तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त कर सकेगा ।

(3) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन कार्यवाही शुरू करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

4. न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को जांच अधिकारी और सचिवालय सहायता- (1) जांच की कार्यवाही के प्रयोजन के लिए, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, ऐसे किसी अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में अभिहित करेगा, जो भारत सरकार के अवर सचिव के पद से कम पंक्ति का न हो और जिसे उल्लंघन संबंधी तथ्यों और परिस्थितियों का ज्ञान हो, ताकि वह न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की सहायता कर सके।

(2) केंद्रीय सरकार ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों, परामर्शियों या अभिकरणों को अभिहित करेगी जो अधिनियम और इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को सचिवीय, तकनीकी या प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक हों।

5. सूचना जारी करना- (1) जहाँ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि जाँच के लिए प्रथम दृष्ट्या कोई मामला बनता है, वहाँ वह उस व्यक्ति को, जिस पर उल्लंघन करने का आरोप है, प्ररुप 1 में सूचना जारी करेगा।

(2) सूचना में सम्मिलित होगा-

(क) अभिकथित उल्लंघन की प्रकृति;

(ख) अधिनियम या नियमों के वे सुसंगत उपबंध, जिनका उल्लंघन किए जाने का अभिकथन किया गया है;

(ग) जिस पर तात्विक विश्वास किया गया है;

(घ) वह समय जिसके भीतर लिखित उत्तर प्रस्तुत किया जाना होता है।

(3) सूचना में उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः वह अवधि दी जाएगी जो कम से कम पंद्रह दिन से कम और तीस दिन से अधिक न हो।

6. सूचना और आदेशों की तामील- (1) इन नियमों के अधीन कोई भी सूचना, संचार या आदेश निम्नलिखित द्वारा तामील किया जा सकेगा-

(क) रजिस्ट्रीकरण और परिदान के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक साधन;

(ग) रसीद के बदले हाथ से परिदान;

(घ) कोई अन्य ढंग जैसा कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उचित समझे।

(2) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई तामील तब विधिमान्य समझी जाएगी, जब उसे संबंधित व्यक्ति द्वारा केंद्रीय सरकार, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या किसी अन्य कानूनी प्राधिकारी को दिए गए इलेक्ट्रॉनिक मेल पते या डिजिटल खाते पर भेजा गया हो।

7. उत्तर फाईल करना और उपस्थिति- (1) सूचना पाने वाला व्यक्ति, सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, सहायक दस्तावेजों के साथ एक लिखित उत्तर फाईल कर सकेगा।

(2) सूचना पाने वाला व्यक्ति स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।

(3) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर, अतिरिक्त दस्तावेज़ या लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

8. सुनवाई- (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी सूचना पाने वाले को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(2) सुनवाई प्रत्यक्ष रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकती है।

(3) यदि सूचना मिलने के बावजूद, जिसे सूचना भेजी गई है वह उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात एकपक्षीय कार्यवाही कर सकेगा।

(4) जहाँ, सुनवाई के दौरान, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का यह विचार हो कि आगे और जाँच की जाना अपेक्षित है, वहाँ वह कार्यवाहियों को स्थगित कर सकेगा और अतिरिक्त सामग्री की मांग कर सकेगा।

9. शास्ति अवधारित करने के कारक- धारा 24 क के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णायिक करते समय, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी निम्नलिखित कारकों के संबंध में सम्यक ध्यान देगा, अर्थात्:-

(क) उल्लंघन की प्रकृति, गंभीरता और अवधिः

(ख) चूक की पुनरावृत्तिमूलक प्रकृतिः

(ग) उल्लंघन से प्राप्त अभिलाभ या अनुचित फायदा की मात्रा, जहाँ कहीं भी उसकी गणना की जा सकती हो;

(घ) लोक हित या सरकारी राजस्व को हुई हानि या क्षतिः

(ङ) क्या उल्लंघन जान-बूझकर, कपटपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण था;

(च) जांच के दौरान व्यक्ति का आचरण, जिसमें दिया गया सहयोग भी सम्मिलित है;

(छ) चूक को कम करने या सुधारने के लिए उठाए गए कोई भी कदम।

10. न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा आदेश- (1) सुनवाई के दौरान दिए गए उत्तर, अभिलेख संबंधी साक्ष्य और प्रस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी तर्कसंगत आदेश पारित करेगा।

(2) आदेश में सम्मिलित होंगे-

(क) संक्षिप्त तथ्यः

(ख) अवधारण के लिए वाद-विषयः

(ग) कारणों सहित निष्कर्षः

(घ) अधिरोपित की गई शास्ति, यदि कोई हो; और

(ङ) वह समय जिसके भीतर शास्ति संदत्त की जानी है।

(3) आदेश की एक प्रति नियम 6 के अनुसार संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

11. शास्ति का भुगतान और वसूली- (1) इन नियमों के अधीन अधिरोपित की गई शास्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर या उस विस्तारित अवधि के भीतर संदत्त की जाएगी, जो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर अनुज्ञात की गई हो।

(2) शास्ति की रकम ऐसे ढंग से और ऐसे खाते के शीर्ष के अधीन जमा की जाएगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई हो।

(3) नियत अवधि के भीतर शास्ति का भुगतान न किए जाने में असफल होने की दशा में, अधिनियम की धारा 24ख की उपधारा (4) के अनुसार रकम वसूली योग्य होगी।

12. अवशिष्ट शक्तियां- यथा उपबंधित के सिवाय, न्यायनिर्णयन प्राधिकरण अपनी प्रक्रिया को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप विनियमित कर सकेगा।

प्ररुप-1

[नियम 5 देखें]

शास्ति के न्यायनिर्णयन के लिए सूचना

सेवा में,

नामः_____

पताः_____

ई-मेल आईडी (यदि कोई हो):_____

1. यह कि अधोहस्ताक्षरी, जिसे कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 24क के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अधिनियम के अधीन जांच की कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है;

2. और यह कि, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अभिकथित रूप से अधिनियम/उसके अधीन बनाए गए नियमों के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:

क्रम संख्या	**जिस उपबंध का उल्लंघन किए जाना अभिकथित किया गया है**	**उल्लंघन की संक्षिप्त विशिष्टियां**

3. उपर्युक्त अभिकथनों के समर्थन में जिन सामग्री/दस्तावेजों पर विश्वास किया गया है, वे निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्या	**दस्तावेज़/सामग्री का विवरण**

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आपको यह सूचना प्राप्ति की तारीख में_____ दिन के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाता है कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन आपके विरूद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए और शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाए।

5. आप सहायक दस्तावेज़ों या साक्ष्यों के साथ लिखित उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं।

6. यदि लागू हो, तो आप नीचे बताई गई सुनवाई की तारीख पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं:

सुनवाई की तारीखः_____

समयः_____

सुनवाई का माध्यम (प्रत्यक्ष/वीडियो कॉन्फ्रेंस):_____

स्थान/लिंकः_____

7. नियत समय के भीतर कोई उत्तर नहीं मिलने या सूचना प्राप्ति के बावजूद आप सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहने की दशा में, अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामला एकपक्षीय विनिश्चित किया जा सकता है।

तारीख: _____

स्थान: _____

(हस्ताक्षर)

न्यायनिर्णयन प्राधिकारी

[फा. सं. सीबीए2-13011/1/2020-सीबीए2]

रूपिंदर बरार, अपर सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026.

Coal Mines (Special Provisions) Adjudication of Penalties Rules, 2026

G.S.R. 699(E).—Whereas draft of the Coal Mines (Special Provisions) Adjudication of Penalties Rules, 2026, were published as required under sub-sections (1) and (2) of section 31 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 8th June, 2026 *vide* number G.S.R. 450(E), dated the 5th June, 2026 for information of all persons likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft rules would be taken into consideration by the Central Government after the expiry of a period of fifteen days from the date on which copies of the Gazette containing the said rules were made available to the public;

And whereas, suggestions or objections received in response to the above mentioned draft rules were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xa) of sub-section (2) of section 31 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Coal Mines (Special Provisions) Adjudication of Penalties Rules, 2026.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015);

(b) "adjudication authority" means the nominated authority appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 24A of the Act;

(c) "electronic means" includes email, a designated web-portal or any other digital platform specified by the Central Government;

(d) "Form" means a Form appended to these rules;

(e) "inquiry officer" means an officer, as designated under rule 4;

(f) "inquiry proceeding" means proceedings initiated under section 24A of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings, respectively assigned to them in the Act.

3. Holding of inquiry.— (1) Where the adjudication authority has reason to believe that any person has committed a contravention of the Act liable for adjudication under section 24A of the Act, it may, either suo motu or upon receipt of a complaint or report, initiate inquiry proceedings.

(2) For the purpose of conducting an inquiry under sub-rule (1), the adjudication authority may—

(a) call for information, records, books, registers, returns or documents from any person;

(b) require the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case;

(c) seek written explanations or statements;

(d) obtain inspection reports or technical reports from any Government agency, expert body, technical institution, and the likes.

(3) The adjudication authority shall record reasons for initiation of proceedings conducted under sub-rule (1).

4. Inquiry Officer and secretariat assistance to the adjudication authority.— (1) For the purpose of inquiry proceedings, the adjudication authority shall designate an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India having knowledge of the facts and circumstances constituting the contravention as the Inquiry Officer to assist the adjudication authority.

(2) The Central Government shall designate such officers, staff, consultants or agencies, as may be necessary to provide secretarial, technical or administrative assistance to the adjudication authority for the discharge of its functions under the Act and these rules.

5. Issue of notice.— (1) Where the adjudication authority is satisfied that there exists a *prima facie* case for inquiry, it shall issue a notice in Form-I to the person alleged to have committed the contravention.

(2) The notice shall contain—

(a) the nature of the contravention alleged;

(b) the relevant provisions of the Act or rules alleged to have been violated;

(c) the material relied upon;

(d) the time within which a written reply is to be furnished.

(3) The notice shall ordinarily provide a period of not less than fifteen days and not more than thirty days for submission of a reply.

6. Service of notice and orders. — (1) Any notice, communication or order under these rules may be served by—

(a) speed post with registration and proof of delivery;

(b) electronic means;

(c) delivery by hand against receipt; or

(d) any other mode as the adjudication authority may deem fit.

(2) Service by electronic means shall be deemed valid where transmitted to the email address or digital account furnished by the concerned person to the Central Government, nominated authority or any other statutory authority.

7. Filing of reply and appearance. — (1) The noticee may file a written reply along with supporting documents within the time specified in the notice.

(2) The noticee may appear in person or through an authorised representative.

(3) The adjudication authority may permit to file the additional documents or written submissions upon sufficient cause being shown.

8. Hearing. — (1) The adjudication authority shall provide the noticee a reasonable opportunity of being heard.

(2) The hearing may be conducted physically or through electronic means.

(3) If the noticee fails to appear despite due service of notice, the adjudication authority may proceed *ex parte* after recording reasons thereof.

(4) Where, during the course of hearing, the adjudication authority considers that further inquiry is required, it may adjourn the proceedings and call for additional material.

9. **Factors for the determination of penalty. —** While adjudging the quantum of penalty under section 24A, the adjudication authority shall have due regard to the following factors, namely:—

(a) the nature, gravity and duration of the contravention;

(b) the repetitive nature of default;

(c) the amount of gain or unfair advantage derived from the contravention, wherever quantifiable;

(d) the loss or damage caused to public interest or Government's revenue;

(e) whether the contravention was wilful, fraudulent or mala fide;

(f) the conduct of the person during the inquiry, including the cooperation extended;

(g) any steps taken for mitigation or rectification of the default.

10. **Order by adjudication authority. —** (1) After considering the reply, evidence on record and submissions made during the hearing, the adjudication authority shall pass a reasoned order.

(2) The order shall contain—

(a) brief facts;

(b) issues for determination;

(c) findings with reasons;

(d) the penalty imposed, if any; and

(e) the time within which the penalty shall be paid.

(3) A copy of the order shall be served upon the concerned person in accordance with rule 6.

11. Payment and recovery of penalty. — (1) The penalty imposed under these rules shall be paid within thirty days from the date of receipt of the order or within such extended period, as may be allowed by the adjudication authority for reasons to be recorded in writing.

(2) The amount of penalty shall be deposited through such mode and under such head of account, as may be specified by the Central Government.

(3) In case of failure to pay the penalty within the stipulated period, the amount shall be recoverable in accordance with sub-section (4) of section 24B of the Act.

12. Residual powers. — Save as provided, the adjudication authority may regulate its own procedure in a manner consistent with the principles of natural justice and in accordance with the provisions of the Act.

Form-I

[*See rule* 5]

Notice for Adjudication of Penalty

To,
Name:_____
Address:_____
Email ID (if any): _____

1. Whereas the undersigned, being the adjudication authority appointed under section 24A of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015), upon consideration of the material available on record, is satisfied that a *prima facie* case exists for initiating inquiry proceedings under the said Act;
2. And whereas, it appears that you have allegedly committed contravention of the following provisions of the Act or rules made thereunder:

Serial Number	**Provision alleged to be contravened**	**Brief particulars of contravention**

3. The material or documents relied upon in support of the above allegations are as follows:

Serial Number	**Description of document or material**

4. In view of the above, you are hereby called upon to show cause within ___ days from the date of receipt of this notice as to why action should not be taken and penalty imposed against you under the provisions of the said Act.
5. You may submit a written reply with supporting documents or evidence and indicate, if you seek a personal hearing.
6. You may appear in person or through an authorised representative on the date of hearing mentioned below, if applicable:
   Date of hearing: _____
   Time: _____
   Mode of hearing (physical or video conference): _____
   Venue or Link: _____
7. In case no reply is received within the stipulated time, or you fail to appear for the hearing despite due service of notice, the matter may be decided *ex parte* based on material available on record.

Date: _____
Place: _____

(Signature)
Adjudication Authority

[F. No. CBA2-13011/1/2020-CBA2]

RUPINDER BRAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.08.03 22:25:18 +05'30'